सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 63/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :— 14.06.2023

GCMS ID—2023/182

1. रामनारायण आ0 लालाराम जाति मीणा निवासी ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. आशा पुत्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी उमर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. प्रिया पुत्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी उमर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. ममता पुत्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी उमर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रेखा पुत्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी उमर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. सायल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी उमर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. शान्ति देवी पत्नी भंवरलाल जाति मीणा निवासी उमर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. राजकुमार पुत्र हेमराज जाति मीणा निवासी उमर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. शान्ति पत्नी हेमराज जाति मीणा निवासी उमर तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :— श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर

वकील अप्रार्थीगण :— श्री अनिल गुर्जर, नरेश गौड

दिनांक :— 27/03/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 354 पुराना 341 की भूमि खसरा संख्या 564 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 565 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 566 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 567 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा (1.7807 हैक्टेयर) वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जिस पर प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि जो कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 531 की पश्चिमी मेर खसरा संख्या 530 के पूर्वी मेड के मध्य करीब 12 फिट चोडे उत्तरी दक्षिणी रास्ते से होते हुए अपने खसरा संख्या 567 में से शेष अपनी भूमियों पर पिढियों से आता जाता रहा है तथा इन्ही रास्ते से अपने खेतों

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पर कृषि यंत्र खाद बीज फसल आदि को लाते ले जाते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमियों पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अक्टूबर 2022 तक उक्त रास्ते पर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं था लेकिन खसरा संख्या 531 अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के खातेदारी में दर्ज होने से उनके मन में बदनियत आ गई तथा प्रार्थी के आने जाने के रास्ते को अप्रार्थी ने हाक जोत कर नष्ट कर अपने खेत में मिला दिया तथा रास्ते के मूल स्वरूप को नष्ट कर दिया जिससे प्रार्थी के मवेशी बेलगाडी ट्रेक्टर ट्रॉली व उपज को लाने व ले जाने में काफी परेशानी हो गई तथा अप्रार्थी ने अपने खेत के पूर्वी, पश्चिमी दिशा में विस्थत मेड पर अभी तक प्रार्थी को अपनी भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता नहीं दिया है इसलिए प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी ने रास्ता बहाल करने हेतु दिनांक 18.11.2022 को तहसीलदार साहब हिण्डोली को आवेदन पेश किया तो तहसील कर्मचारियों द्वारा न्यायालय से आदेश के उपरान्त ही बाद कार्यवाही रास्ता बहाल करने को कहा इसलिए प्रार्थी के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी उपचार नहीं है। प्रार्थी अत्यन्त गरीब काश्तकार है जो कानून में विश्वास करता है जबकि अप्रार्थीगण लडाकू किस्म के ताकतवर व प्रभावशाली लडाई झगडा में विश्वास करते है तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने जाने नहीं दे रहे है ऐसा ही रहा तो प्रार्थी भविष्य में अपनी कृषि कार्य से महरूम हो जायेगा तथा कृषि भूमि के अलावा आय का कोई स्त्रोत नहीं होने से परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी इसलिए उक्त आवेदन पत्र अन्दर अवधि न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी को अपनी भूमियों पर आने जाने हेतु कृषि भूमि खसरा संख्या 531 की पश्चिमी मेड से 12 फीट चोडा उत्तरी व दक्षिणी रास्ता दिलाया जावे एवं रास्जव रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि में आने जाने वाली भूमि की कीमत अप्रार्थीगण को नियमानुसार अदा करने एवं न्यायालय श्रीमान के यहा आदेशानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाना पर प्रस्तुत है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। अतः श्रीमान को करबद्ध अनुरोध है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाया जाकर प्रार्थी को खसरा संख्या 531 की पश्चिमी मेड पर उत्तर से दक्षिण में 12 फीट चोडा रास्ता बाजार कीमत पर दिलाया जाने का आदेश फरमावें तथा रास्ते के उपयोग उपभोग में आने वाली भूमि में अप्रार्थी के खाते में से दर्ज किए जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7 व 8 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थी मौके पर स्थित शामलाती कुँए के पीछे की तरफ पूर्व दिशा की ओर स्थित वर्षो पुराने रास्ते से आता जाता है शेष खातेदार भी उक्त रास्ते का ही उपयोग कर रहे है, जो वर्तमान में चालू है। यदि अप्रार्थीगण की भूमियों में से नया रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी की भूमियॉ दो भागों में बट जायेगी। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे। तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :—राजस्व / 24 / 3182 दिनांक :—06.11.2024 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email - sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 564, 565, 566, 567 वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 531 जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में है, में से होते हुए 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 531 के स्थान पर खसरा संख्या 530 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह खसरा भी अप्रार्थीगण की खातेदारी में है, में से 13 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 354 के खसरा संख्या 564, 565, 566, 567 वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर में आने—जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम स्वरूपगढ के खसरा नम्बर 530 में से 13 फीट चौडे व 185 फीट लम्बे रास्ते में कुल (0.023 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 530 की डीएलसी राशि 1020096/रू— प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.023 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 23462/रू— जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 46924/रू— का भुगतान सम्बन्धित अप्रार्थी खातेदारान को करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 27.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

27/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446